यि बइजलास राहुल कुमार मल्होत्रा (आर०ए०एस०) उपखण्ड अधिकारी अकलेरा जिला झालावाड (रा०) दिनांक 08.05.2024

प्रकरण संख्याः 73/1/दावा/16 तारीख दायरा 03.10.2016

उनवान

धन्ना वल्द नारायण जाति मीणा निवासी गादियाजयमल तह० अकलेरा

(वादी)

बनाम

माधू वल्द लक्ष्मण जाति मीणा निवासी पचौला तहसील अकलेरा

(प्रतिवादी)

वाद धारा 183 रा०टी०एक्ट

निर्णय दिनांक 08.05.2024

उपस्थितिः– वकील वादी श्री दुर्गाशंकर गोयल

पत्रावली माननीय न्यायालय भू० प्रबन्ध एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय कोटा के निर्णय दिनांक 08.08.2016 द्वारा इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 08.06.2015 को अपास्त कर इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया है कि उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करे। प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया। संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जर्ये अधिवक्ता वाद धारा 183 रा०टी०ए० के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया कि ग्राम सेमलीकंला तहसील अकलेरा के माल की खाता सं० 65 की खसरा नं० 48 की 2.09 बीघा, खसरा नं० 49 की 01 बिस्वा कुल 2.10 बीघा आराजी वादी के खाते में दर्ज रेकार्ड है। जिस पर 4–5 साल से प्रतिवादी ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। वादी ने प्रतिवादी से कब्जा आराजी छोडने हेतु कई बार कहा किन्तु प्रतिवादी कब्जा छोडने को तैयार हुए जिसके कारण दिनांक 23.05.2012 को वाद उत्पन्न हुआ। अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर आराजी से प्रतिवादी को बेदखल किया जाकर कब्जा आराजी दिलाया जावे।

प्रतिवादी को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। प्रतिवादी माधू की और से दिनांक 03.9.13 को जबाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया गया जिसमें आराजी मुतनाजा नन्दा के खाते में दर्ज होना व नन्दा ने माधो को 35 व । पूर्व गोद रखा था ादी विवाह नन्दा ने ही किये थे। प्रतिवादी ने ही ऐवर सेवर की प्रतिवादी माधो का कब्जा 70–80 साल से चला आ रहा है। अतः दावा खारिज किया जावे।

वाद पत्र तथा जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम के आधार पर तनक[illegible] की गयी जो वाद पत्र के साथ संलग्न है। तनकीयात् के आधार पर वादी व प्रतिवादी [illegible] लिये जाकर शमिल पत्रावली किये गये। वकील प्रतिवादी द्वार[illegible]स नो–इन्[illegible] किये जाने से वकी वादी की एक तरफा बहस श्रवित की गयी पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड का अवलोकन करने के पश्चात् निम्न प्रकार तनकीवार विवेचन किया जाता है।

तनकी न० 1 – आया ग्राम सेमलीकला तहसील अकलेरा के माल की खाता संख्या 65 की 2 किता की 2.10 बीघा आराजी वादी के खाते व कब्जे मे चली आ रही थी लेकिन 4–5 वर्ष पूर्व उक्त सम्पूर्ण आराजी पर प्रतिवादी ने जबरन बलपूर्वक कब्जा कर लिया है। इसलिए उक्त आराजी से प्रतिवादी को बेदखल किया जाकर कब्जा वादी दिलाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2024.06.28 16:36:40 IST
Reason: SelfAttested

इस तनकी को साबित करने के लिए वादी द्वारा नकल जमाबन्दी ग्राम सेमलीकला खाता संख्या 65 संवत 2068–2071 EXP-1 का अवलोकन किया गया जिससे यह साबित होता है कि वादी वर्णित आराजी का रिकार्डेट खातेदार है जिसपी वादी का कब्जा उसकी मां रोडीबाई के समय से निरन्तर चला आ रहा है। प्रतिवादी द्वारा 4–5 वर्ष पूर्व ताकत के बल पर जबरदस्ती कब्जा किया है। अतः यह तनकी मुताबिक रिकार्ड साबित है। प्रतिवादी का कब्जा बैहसियत है जिसको बेदखल कर कब्जा वादी दिलाया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः यह तनकी वादी के पक्ष मे निर्णित की जाती है।

तनकी न0 2 – आया आराजी मुतनाजा को तत्कालीन खातेदार नन्दा द्वारा प्रतिवादी को अर्सा 35 वर्ष पूर्व हस्ब रिवाज गोद रखा था तथा नन्दा खातेदार द्वारा सम्पूर्ण आराजी प्रतिवादी माधो को संभलाई थी तभी से प्रतिवादी के पिता के समय से ही अर्सा 70–80 वर्ष से प्रतिवादी का कब्जा चला आ रहा है इसलिए धारा 63(4) आर.टी.एक्ट के अन्तर्गत वादी के खातेदारी अधिकार समाप्त हो गये है और प्रतिकूल कब्जे के आधार पर प्रतिवादी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये है।

———————प्रतिवादी

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर था किन्तू प्रतिवादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया जिससे यह साबित हो की नन्दा द्वारा प्रतिवादी को गोद लिया गया हो यहां तक की प्रतिवादी द्वारा अपने बयानो मे भी गोद पुत्र होने बाबत किसी तरह की लिखा पडी किये जाने से इंकार किया है। यहां तक की गवाहो के बयानो मे भी गोद लिये जाने के समय प्रतिवादी माधो की उम्र मे विरोधाभास है। प्रतिवादी इस तनकी को साबित करने मे विफल रहे है मात्र मोखिक कहने से गोद पुत्र होना साबित नही होता है और ना ही यह साबित है कि नन्दा खातेदार द्वारा सम्पूर्ण आराजी प्रतिवादी को संभलाई हो। प्रतिवादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज भी प्रस्तुत नही किया है जिससे यह साबित होता हो कि वर्णित आराजी पर 70–80 वर्ष से प्रतिवादी का कब्जा चला आ रहा हो। वर्णित आराजी मे वादी खातेदार दर्ज रिकार्ड है जिसमे प्रतिवादी द्वारा किया गया कब्जा अतिक्रमी की श्रेणी मे आता है। जिससे खातेदार के खातेदारी अधिकार समाप्त नही होते है। अतः यह तनकी इसी प्रकार प्रतिवादी के विरूद्व निर्णित की जाती है।

तनकी न0 3 – आया प्रतिकूल कब्जे के आधार पर प्रतिवादी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये है। अतः विवादित आराजी का प्रतिवादी को खातेदार टीनेन्ट घोषित किया जाता है।

———————प्रतिवादी

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर था किन्तू प्रतिवादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया जिससे यह साबित हो कि वर्णित आराजी पर 70–80 वर्ष से प्रतिवादी का कब्जा चला आ रहा हो। लगातार कब्जा होना साबित नही होता है अतः प्रतिकूल कब्जे के आधार पर प्रतिवादी खातेदार टीनेन्ट घोषित किये जाने का अधिकारी नही है। अतः यह तनकी इसी प्रकार प्रतिवादी के विरूद्व निर्णित की जाती है।

उक्त तनकियात् के विवेचन के आधार पर वाद की पुष्टि होती है। प्रतिवादीगण के द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य व दस्तोज पेश नही किया जिससे [illegible] निरन्तर कब्जा सिद्ध होता हो और ना प्रतिवादी माधू ने गोद जाने के बारे मे को[illegible] पेश किये है। वादी खातेदार टिनेन्ट है जिस पर से प्रतिवादी को बेदखल [illegible] होता है। अतः वाद वादी डिक्री किया जाने योग्य हैं। अतः वाद वादी [illegible] किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम सेमलीकला तहसील [illegible] सं0 65 की खसरा नं0 48 की 2.09 बीघा, खसरा नं0 49 की 01 बिस्वा कुल 2.10 बीघा आराजी पर से प्रतिवादी को बेदखल किया जाकर कब्जा आराजी वादी को दिया जावे। डिक्री जारी की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2024.06.28 16:36:40 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 08.05.2024 को सरे इजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(राहुल कुमार मल्होत्रा आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी अकलेरा